20.2.24. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। 7(11) CPC का प्रार्थना-पत्र पेश। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन करते हुए अपने तथ्य प्रस्तुत किये। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा बहस की गई। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करने हेतु अपने सीनियर अभिभाषक को बुलाने हेतु समय चाहा। ~~[illegible]~~ समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22.2.24 को पेश हो। [signature]

22.2.24. पत्रावली पेश हुई, वादी वकील स्वयं उपस्थित साथ ही प्रतिवादी वकील उपस्थित। पूर्व की पेशी पर भी वादी वकील द्वारा T.I grant करने की जिरह की गई, लेकिन न्यायालय द्वारा और स्पष्ट तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के सम्बंध में स्पष्ट व्याख्या चाही गई। आज प्रस्तुत की गई। वादी वकील द्वारा वाद पत्र व दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्बंध में जिरह की गई, न्यायालय द्वारा जिरह को सुना गया व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय को वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद का कारण स्पष्ट हुआ और वादी वकील द्वारा T.I जारी करने का आग्रह प्रथम दृष्टया वादिया के हक में जाता प्रतीत होता है चूंकि वाद प्रस्तुत करने की दिनांक तक विवादित अराजियात का बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण, जो कि सहखातेदार है, के द्वारा विवादित अराजियात का बेचान / हस्तांतरण किया जाता है तो वादिया को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है तथा वादिया के हक का सुविधा का संतुलन भी बिगड़ सकता है।

// अतः उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, चूंकि वादिया ना औलाद बेवा है, अतः उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ~~विवादित~~ प्रा. पत्र के चरण संख्या-2 में अंकित अराजियात जो कि ग्राम मौजा बजावरा, प० ह० सागवाड़िया ~~[illegible]~~ तह० गढ़ी के खाता-संख्या-40, जमाबंदी सम्वत्-2055-58 के अनुसार सर्वे नं० 197 व 1678/5371

कुल सर्वे नं० -62, कुल रकबा - 6.88 Hect. पर स्वयं प्रतिवादीगण 1 ला 9, जोकि सहखातेदार भी है, तथा प्रतिवादी नं०-10 तहसीलदार गढ़ी को पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित अराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं या अपने किसी एजेन्ट के माध्यम से किसी भी रूप में हस्तांतरण (बेचान/इकरार/वसीयत, रहन) ना करे, स्वयं तहसीलदार भी यदि उक्त अराजियात का हस्तांतरण दस्तावेज, किसी भी माध्यम से, आता है तो उसे रजिस्टर्ड ना करे। यह T.I वाद के अंतिम निर्णय होने तक प्रभावी रहेगी। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर शांति, कानून-व्यवस्था भी बनाए रखे। पत्रावली दिनांक - 30/4/24 को पेश हो।

30.4.24. पत्रावली पेश हुई। P.O. साहेबा अन्य राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 11.6.24 को पेश हो।

11.6.24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में मूलवाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है लिहाजा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act का जारी रखने का कोई औचित्य नहीं। लिहाजा प्रकरण में कार्यवाही पूर्व आदेशित अनुरूप ड्रोप की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 46/2023

उनवान

श्रीमती लक्ष्मीकुंवर बेवा स्व. तेजकरण चारण निवासी वजाखरा तहसील गढ़ी	बनाम	श्रीमती हर्षलता पुत्री स्व. तेहकरण चारण पत्नी गोरधनसिंह चारण निवा हाल करणपुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक: 22.2.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अध्ययन किया गया। वकिल वादी एवं वकिल प्रतिवादी की बहस सुनि गई। पूर्व पेशी तारिख पर वादी वकील द्वारा अस्थाई निशेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा और स्पष्ट तथ्यों एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तातेजों के सम्बंध में स्पष्ट व्याख्या चाही गई। आज प्रस्तुत की गई। वादी वकील द्वारा वाद प्रकरण व दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्बंध में जिरह की गई, न्यायालय द्वारा जिरह को सुना गया व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय को वादिया द्वारा अस्थाई निशेधाज्ञा जारी करने का आग्रह प्रथम दृष्टया वादिया के हक में जाता प्रतीत होता है। चूकि वाद प्रस्तुत करने की दिनांक तक विवादित आराजियात का बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण, जो कि सहखातेदार है, के द्वारा विवादित आराजियात का बेचान/हस्तांतरण किया जाता है तो वादिया को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है तथा वादिया के हक का सुविधा का संतुलन भी बिगड सकता है।

अतः उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, चूकि वादिया ना औलाद बेवा है, अतः उसके हितों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना–पत्र के चरण संख्या 02 में अंकित आराजियात जो कि ग्राम वजाखरा के मौजा सागवाडिया तहसील गढ़ी के खाता संख्या 40, जमाबंदी सम्वत् 2055–58 के अनुसार सर्वे नम्बर 197 से 1678/5371 कुल सर्वे नम्बर 62, कुल रकबा 6.88 हे0 पर स्वयं प्रतिवादीगण 1 ल. 9, जो कि सहखातेदार भी है, तथा प्रतिवादी नम्बर 10 तहसीलदार गढी को पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित अराजायियात को किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं या अपने किसी ऐजेन्ट के माध्यम से किसी रूप में हस्तांतरण (बेचान/उपहार/वसीयत, रहन) ना करे, स्वयं तहसीलदार भी यदि उक्त अराजायियात का हस्तांतरण दस्तावेज, किसी भी माध्यम से आता है तो उसे रजिस्टर्ड ना करें। यह अस्थाई निशेधाज्ञा वाद के अंतिम निर्णय होने तक प्रभावी रहेगी। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था भी बनाए रखे।

आदेश आज दिनांक 22.3.2022 को जारी किया गया।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी